ARRANGEMENT BETWEEEN

THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA

THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING

CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME FOR THE YEARS 2015 - 2018

The Ministry of Gulture of the Republic of India and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to strengthen their existing friendly relations and closer cooperation between the two countries and their peoples;

Referring to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia concerning Cultural Relations signed at New Delhi on 29th December, 1955 and the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of India establishing New Strategic Partnership signed at New Delhi on 23rd November, 2005.

Considering the need to develop and foster cultural relations, as well as the cooperation between the two countries;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries:

Have agreed as follows:

Article 1 Objectives

The purpose of this arrangement is to provide a legal framework for cultural cooperation particularly in the field of language and literature, museums, visual and performing arts, film, history, archaeology, anthropology, folklore, exhibition, joint research, human resources development, conservation of cultural heritage objects as well as exchange of information.

Article 2 Implementation

The details of the programmes or projects conducted under this Arrangement shall be regulated on a case to case basis through diplomatic channels, which will specify, inter alia the objective, programmes and activities, location of the project or programme, duration, the agencies involved, financial provisions and other details related to the specific action conducted by all participants involved under this Arrangement. The aforesaid details shall form an integral part of the Arrangement.

Article 3 Language, Literature

- The Parties shall encourage the translation of classical and modern literature of each Party. Details of the programmes or projects shall be worked out through diplomatic channels.
- The Parties shall encourage the exchange of researchers and lecturers to study local languages and literature as may be mutually identified and agreed by both Parties.

Article 4 Museums

- 1. The Parties shall participate in seminars and exhibitions to be organized in the respective countries.
- 2. The Parties shall facilitate joint exhibitions of Museum collections.
- 3. The Parties shall consider organizing cultural exhibition at a mutually convenient time in Indonesia and India.
- The Parties shall exchange experts in Museology and Conservation.

Article 5 Visual Arts

- 1. The Parties shall encourage the exchange of children's paintings and the participation of children from both countries in the festival, competition or exhibition held in both countries.
- 2. The Parties shall exchange microfiche copies, reprographic copies, e.g., slides, photographs, drawings of art objects, murals, paintings, sculpture, graphic design etc. for the purpose of exhibition.
- 3. The Parties shall exchange or facilitate the exchange of handicrafts (textiles, specimen), masks and puppets (both shadow and marionette) and traditional clothes to enrich the collection of specialized institutions for learning purpose.

Article 6 Performing Arts

- The Parties shall facilitate exchange of information regarding shadow puppet shows, audio-video recording, photographs, slides, recorded music and publications on Performing Arts.
- 2. The Parties shall facilitate the exchange of shadow puppet expert to mutually exchange of experience.
- 3. The Parties shall facilitate the exchange of delegations of traditional and contemporary dance, music, theatre and collaboration of performing arts.
- 4. The Parties shall explore the possibility of comparative study of performing wayang or shadow puppet.

Article 7 History, Archaeology and Anthropology

- 1. The Parties shall exchange experts in the field of history, Archaeology, Anthropology and Conservation as well as restoration.
- The Parties shall exchange publications of the result of research activities in the field of history, archaeology and anthropology particularly in areas of mutual interest.
- 3. The Parties shall exchange visits of delegations consisting of historian, anthropologist, archaeologist, epigraphist and conservator for a period of two weeks to identify specific areas of activity of mutual interest to be agreed upon with participation of experts from both countries.
- 4. The Parties shall arrange Seminars and Workshops on related areas of mutual interest to be agreed upon with participation of experts from both countries.
- 5. The Parties shall explore the possibility of joint Programmes for the period mutually agreed by the Parties in the fields of:
 - (a) Development of training programme methods in archaeology.
 - (b) Conservation and restoration of Hindu/Buddhist temples made of stone and brick Rock Art.

Article 8 Film

 The Parties shall organize film weeks /film festivals in each other's country with participation of a delegation not exceeding five members for a maximum period of five days.

- The Parties shall encourage seminars / training programmes for a period not exceeding five days and visits of delegation of officials, not exceeding five members, working in film to exchange views and experiences.
- The Parties shall extend invitation to each other to participate in the Film Festival in their respective countries by a delegation not exceeding five members for a maximum period of five days.

Article 9 Intellectual Property Rights

- Notwithstanding anything contained in this Arrangement, where the
 implementation of this Arrangement affects any Party's rights and interests with
 respect to the protection of intellectual property rights, as well as confidentiality
 and secrecy of documents, information and data, that Party may undertake
 appropriate steps in consultation with the other party to ensure that its rights
 and interests are protected and safeguarded.
- Any activities in the fields which are the subject of this Arrangement shall be conducted in line with the laws and regulations concerning the protection of intellectual property rights in their respective territories of the Parties.
- 3. The Parties shall recognize the existence and promote the effective protection of traditional knowledge and folklore as well as the rights of the parties to prevent any exploitation, misappropriation and misuse of the traditional knowledge and folklore of the Parties.
- 4. The Parties shall conclude a separate arrangement on intellectual property rights resulting from any activity or collaboration done under this Arrangement.

Article 10 Financial Provision

The financial arrangements to cover expenses for the cooperation activities undertaken within the framework of this Arrangement shall be mutually agreed upon in writing by the Parties on a case to case basis subject to availability of funds and personnel.

Article 11 Limitation of Personnel

- All persons engaged in activities related to this Arrangement shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and shall act within the scope of this Arrangement.
- Any violation of the paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits of the person concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country.

Article 12 Settlement of Dispute

Any dispute and/or differences arising out of the interpretations and implementations of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 13 Amendment

Either Party may request in writing for an amendment or modification of any part of this Arrangement. Any amendment or modification agreed upon by the Parties shall constitute as an integral part of this Arrangement. Such amendment or modification shall come into effect on the date as may be determined by the Parties.

Article 14 Entry into Force, Duration and Termination

- 1. This Arrangement shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force until 31 December, 2018.
- 2. Either Party may terminate this Arrangement by giving written notice to the other Party 6 (Six) months in advance.
- The termination of this Arrangement shall not prejudice the completion of any ongoing programmes and projects under this Arrangement unless the Parties decide otherwise.

In witness whereof, the undersigned, have signed this Arrangement:

Done in duplicate at Jakarta on 2 November 2015. In two originals, each in Hindi, Indonesian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA

GURJIT SINGH

Ambassador of India to Indonesia

FOR THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

KACUNG MARIJAN

Director General of Culture

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के संबंध में भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशिया गणराज्य के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच करार

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशिया गणराज्य के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय (जिन्हें इसके बाद "दोनों पक्षकार" कहा गया है);

दोंनों देशों और यहां के लोंगों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहयोग को सुदृढ़ बनाने की इच्छा से;

सांस्कृतिक संबंधों के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच नई दिल्ली में 29 दिसम्बर, 1955 को हस्ताक्षरित करार और नई रणनीतिक भागीदारी विकसित करने संबंधी इंडोनेशिया गणराज्य और भारत गणराज्य द्वारा नई दिल्ली में 23 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए;

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और साथ ही सहयोग विकसित करने एवं इसे पोषित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए;

दोनों देशों में प्रवृत्त कानूनों एवं विनियमों का अनुसरण करते हुए;

निम्नवत सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद-१ उद्देश्य

इस करार का प्रायोजन सांस्कृतिक सहयोग, विशेष रूप से भाषा तथा साहित्य, संग्रहालयों, दृश्य एवं मंचन कलाओं, चलचित्र, इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान, लोक साहित्य, प्रर्दशनी, संयुक्त अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, सांस्कृतिक धरोहर, वस्तुओं का संरक्षण और साथ ही सूचनाओं के आदान-प्रदान के क्षेत्र में, के लिए एक कानूनी कार्यढांचा प्रदान करना है।

अनुच्छेद-2 कार्यान्वयन

इस करार के तहत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं का ब्यौरा राजनयिक माध्यमों से मामला दर मामला आधार पर विनियमित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्देश्य, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों तथा इस परियोजना अथवा कार्यक्रम के स्थान, इसमें शामिल एजेंसियों, वित्तीय प्रावधान और इस करार के तहत शामिल सभी प्रतिभागियों द्वारा संचालित विशिष्ट कार्य का उल्लेख होगा। उपरोक्त ब्यौरा इस व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा होगा।

अनुच्छेद-3 भाषा, साहित्य

- दोनों पक्षकार एक-दूसरे के शास्त्रीय तथा आधुनिक साहित्य के अनुवाद को प्रोत्साहन देंगे। कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का ब्यौरा राजनियक माध्यमों से तैयार किया जाएगा।
- दोनों पक्षकार स्थानीय भाषाओं तथा साहित्य, जैसा भी दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर निर्धारित तथा सम्मत हो, के अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं तथा व्याख्याताओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद-4 संग्रहालय

- 1. दोनों पक्षकार अपने-अपने देशों में सेमिनारों तथा प्रदेशनियों में भागीदारी करेंगे।
- 2. दोनों पक्षकार संग्रहालय की वस्तुओं की संयुक्त प्रदर्शनी लगाएंगे।
- 3. दोनों पक्षकार इंडोनेशिया तथा भारत में परस्पर यथीचित समय पर सांस्कृतिक प्रदर्शनी के आयोजन पर विचार करेंगे।
- 4. दोनों पक्षकार संग्रहालय विज्ञान तथा संरक्षण में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-5 दृश्यकला

- दोनों पक्षकार अपने-अपने देशों में आयोजित महोत्सवों, प्रतियोगिता अथवा प्रदर्शनी में बच्चों की चित्रकारियों के आदान-प्रदान और दोनों देशों से बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों पक्षकार प्रदर्शनी के प्रयोजनार्थ माइक्रोफिश प्रतियों, रिप्रोग्राफिक प्रतियों अर्थात स्लाइडों, फोटोग्राफों, कलावस्तुओं के आरेखण, भित्तीचित्र, चित्रकारी, मृत्तिकला, ग्राफिक डिजाइन आदि का आदान-प्रदान करेंगे।
- 3. दोनों पक्षकार अध्ययन के प्रयोजनार्थ विशिष्ट संस्थाओं के संग्रह को समृद्ध बनाने के लिए हस्तशिल्पों (वस्त्र, नम्ना), मुखौटों तथा कठपुतियों (छाया तथा कठपुतिली) और पारंपिरक वस्त्रों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-६

मंचल कला

- 1. दोनों पक्षकार शैडो कठपुतली प्रदर्शनी, श्रव्य दृश्य रिकार्डिंग, फोटोग्राफ, स्लाइड, रिकार्डेड संगीत और प्रदर्शन कला के प्रकाशन से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएंगे।
- 2. दोनों पक्षकार अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए शैंडों पपेट शो के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को स्विधाजनक बनाएंगे।
- 3. दोनों पक्षकार परंपरागत नृत्य तथा समकालिक नृत्य, संगीत, थिएटर और मंचन कलाओं में सहयोग हेतु प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएंगे।
- 4. दोनों पक्षकार प्रदर्शन, व्यंग्य अथवा शैडो पपेट के तुलनात्मक अध्ययन की संभावनाओं का पता लगाएंगे।

अनुच्छेद 7 इतिहास, पुरातत्व और मानव विज्ञान

- दोनों पक्षकार इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान और संरक्षण के साथ-साथ पुनरुद्धार के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 2. दोनों पक्षकार, विशेषकर परस्पर हित के क्षेत्रों में इतिहास, पुरातत्व तथा मानव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 3. दोनों पक्षकार दोनों देशों के इतिहासकारों, मानव वैज्ञानिको। पुरातत्ववंत्ताओं पुरालेखवंत्ताओं तथा संरक्षकों के प्रतिनिधिमंडलों की दो सप्ताह की अविध के लिए दौरा करने का अवसर प्रदान करेंगे तािक पारस्परिक हित के क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां परस्पर सहमति से दोनों पक्षकारों के विशेषजों की भागादारी हो सके।
- 4. दोनों पक्षकार, आपसी सहमति से परस्पर हित से संबंधित क्षेत्रों में दोनों देशों के विशेषज्ञों की भागीदारी से सेमिनारों तथा कार्यशालाओं की व्यवस्था करेंगे।
- 5. दोनों पक्षकार, परस्पर सहमति से निम्नलिखित क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिए संयुक्त कार्यक्रमों की संभावना की तलाश करेंगे:
- (क) पुरातत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम के तरीकों का विकास
- (ख) पत्थर, ईंटों से बने हिन्द्/बौद्ध मंदिरों तथा भित्ति कला का संरक्षण तथा पुनरुद्धार।

अनुच्छेद-8 फिल्म

- दोनों पक्षकार अधिकतम पांच दिनों की अविध के लिए अधिकतम पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी से एक दूसरे के देश में फिल्म सप्ताह/फिल्म महोत्सव आयोजित करेंगे।
- 2. दोनों पक्षकार विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए फिल्मों में कार्यरत अधिकतम पांच सदस्यों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और अधिकतम पांच दिनों की अवधि के लिए सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे।

3. दोनों पक्षकार अपने देश में आयोजित फिल्म महोत्सव में भाग लेने हेतु एक दूसरे को अपना निमंत्रण भेजेंगे जिसमें अधिकतम पांच दिनों की अवधि के लिए अधिक से अधिक पांच सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा।

अनुच्छेद 9 बौद्धिक संपदा अधिकार

- 1. इस करार में वर्णित किसी तथ्य के बावजूद यदि इस करार के कार्यान्वयन से किसी पक्षकार के बाँद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के मामले में उसके अधिकारों तथा हितों पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता है और दस्तावेजों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गोपनीयता भंग होती है, तो वह पक्षकार दूसरे पक्षकार के परामर्श से उचित उपाय कर सकता है ताकि उसके अधिकारों व हितों का संरक्षण व वचाव सुनिश्चित हो सके।
- 2. इस करार के अधीन किसी कार्यकलाप का संचालन पक्षकारों के संबंधित भू-क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा सहित उनके कानूनों तथा विनियमनों के अनुसार किया जाएगा।
- 3. दोनों पक्षकार पारंपरिक ज्ञान तथा लोक साहित्य की मौजूदगी को मान्यता देंगे तथा पक्षकारों के पारंपरिक ज्ञान व लोक साहित्य के प्रभावी संरक्षण के साथ-साथ किसी भी प्रकार से इसके शोषण, गलत प्रयोग तथा दुरूपयोग को रोकेंगे।
- 4. दोनों पक्षकार इस करार के तहत किसी कार्यकलाप अथवा सहयोग के परिणामस्वरूप प्राप्त बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पृथक करार निष्पन्न करेंगे।

अनुच्छेद-10 वित्तीय प्रावधान

इस करार की संरचना के तहत किए गए सहयोग कार्यकलापों हमें शामिल व्यय की व्यवस्था निधियों तथा कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग मामलों पर पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से होगा।

अनुच्छेद-11 कार्मिकों का परिसीमन

- 1. इस करार से जुड़े कार्यकलापों में शामिल सभी लोग मेजबान देश की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय एकता का सम्मान करेंगे तथा इस करार के विषय-क्षेत्र के तहत कार्य करेंगे।
- 2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 के किसी भी प्रकार से उल्लंघन के परिणामस्वरूप मेजबान देश के प्रचलित कानूनों तथा विनियमनों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों एवं अन्य आवश्यक कार्योपायों संबंधी सभी अनुमति रद्द हो जाएंगे।

अनुच्छेद-12 विवाद का निपटान

इस करार की व्याख्या एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी विवाद और किसी मतभेद का निपटारा पक्षकारों के मध्य विचार-विमर्श या परामर्श से सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

अनुच्छेद-13 संशोधन

प्रत्येक पक्षकार इस करार के किसी भी भाग में संशोधन या सुधार करने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्षकारों की सहमति से किया गया संशोधन या सुधार इस करार का अभिन्न हिस्सा होगा। ऐसे संशोधन या सुधार दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद-14 लागू करना, अवधि और निरस्त करना

- 1. यह करार इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से लागू होगा और 31 दिसंबर, 2018 तक लागू रहेगा।
- 2. प्रत्येक पक्षकार इस करार को अन्य पक्षकार को 6(छः) माह का अग्रिम लिखित नोटिस देकर निरस्त कर सकता है।
- 3. इस करार को रद्द किए जाने से इस करार के अंतर्गत कोई कार्यक्रम और परियोजनाओं को पूर्ण करने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्ते कि पक्षकारों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

वर्ष दो हजार पंद्रह के नवंबर माह के दूसरे दिन में हिन्दी, इंडोनेशियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न सभी पाठ प्रामाणिक हैं। इस करार के निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य के संस्कृति

मंत्रालय की ओर से

गुरनीतं सिंह

इंडोनेशिया में भारत के राजदूत

इंडोनेशिया गणराज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की ओर से

काचुंग मारीजीन

संस्कृति के महानिदेशक